पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अगस्त, 2018 ई0 (श्रावण 13, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–31

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	429–441	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	521–526	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	87–89	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	163	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

(1)

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 3289/एसटीए/दस–82/2018–उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–619/ix/166/2005, दिनांक 17.01.2005 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 31.07.2018 के संकल्प संख्या–05 में प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या 4448/एसटीए/दस–1/2013, दिनांक 23.09.2013 (जो वर्तमान में लागू है), को अधिक्रमित करते हुए, मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों का यात्री किराया एवं माल वाहनों के भाड़े की दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं:–

1. मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें

(एक) नगर निगम या नगरपालिका क्षेत्र के बाहर चलाई जाने वाली मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरें:–

(1) साधारण सेवा :

(क) मैदानी मार्ग हेतु — 86.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(ख) पर्वतीय मार्ग हेतु — 109.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(2) रिजर्व पार्टी परमिट :

(क) मैदानी मार्ग हेतु — 98.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(ख) पर्वतीय मार्ग हेतु — 138.00 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति यात्री

(3) एक्सप्रेस सेवा — उपरोक्त दर का 1.10 गुणा

(4) सेमीडीलक्स सेवा — उपरोक्त दर का 1.25 गुणा

(5) डीलक्स सेवा — उपरोक्त दर का 1.70 गुणा

(6) वातानुकूलित सेवा — उपरोक्त दर का 1.90 गुणा

(दो) केवल नगर निगम या नगरपालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 30 कि0मी0 से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलाई जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरें:–

क्र0 सं0	निर्धारित स्लैब	
	स्लैब	दर (₹)
1	2	3
1.	प्रथम 02 किमी0 तक	5.00
2.	02 से अधिक किन्तु 04 किमी0 तक	7.00
3.	04 से अधिक किन्तु 06 किमी0 तक	10.00

1	2	3
4.	06 से अधिक किन्तु 08 किमी0 तक	12.00
5.	08 से अधिक किन्तु 10 किमी0 तक	14.00
6.	10 से अधिक किन्तु 12 किमी0 तक	16.00
7.	12 से अधिक किन्तु 14 किमी0 तक	18.00
8.	14 से अधिक किन्तु 16 किमी0 तक	20.00
9.	16 से अधिक किन्तु 18 किमी0 तक	22.00
10.	18 से अधिक किन्तु 20 किमी0 तक	24.00
11.	20 से अधिक किन्तु 22 किमी0 तक	26.00
12.	22 से अधिक किन्तु 24 किमी0 तक	28.00
13.	24 से अधिक किन्तु 26 किमी0 तक	30.00
14.	26 से अधिक किन्तु 28 किमी0 तक	32.00
15.	28 से अधिक किन्तु 30 किमी0 तक	34.00
16.	30 से अधिक किमी0 के लिए	36.00

स्पष्टीकरण :—

1. यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होंगी कि वयस्क यात्रियों से 02 किलोमीटर की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री किराया ₹ 5.00 होगा और अव्यस्क यात्रियों के मामले में ₹ 2.00 होगा।
2. संगणित यात्री किराए की राशि ₹ 1.00 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को ₹ 1.00 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ :—

₹ 1.01 से ₹ 1.50= ₹ 1.00

₹ 1.51 से ₹ 1.99= ₹ 2.00

3. यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि0मी0) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि0मी0 से अधिक का भाग एक कि0मी0 (1.00 कि0मी0) तक पूर्णांकित किया जाएगा।
4. किराए के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।
5. मंजिली गाड़ियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाड़ियों पर लगाई गई हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूल किया जा सकेगा।
6. एक्सप्रेस सेवा से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो ऐसे मार्ग पर संचालित हो, जिसकी लम्बाई 200 कि0मी0 से कम न हो और जो केवल जिला एवं तहसील मुख्यालय पर रूकती हो और निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो:—

    (क) प्रत्येक यात्री सीट:—

    (1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ—साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40×38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

    (2) कुशन 09 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

    (3) 2.5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/15.24×23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस पर टेरीकॉट रैक्सीन के कवर हों।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः—

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सींटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँः—

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिनः—

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) श्रवण प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधाएँ होनी चाहिए।

7. सेमी डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है, जिसमें:—

(क) प्रत्येक यात्री सीटः—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40×40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 09 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 05 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सिन कवर के साथ 61 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः—

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सींटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँः—

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिनः—

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) श्रवण प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधाएँ होनी चाहिए।

8. डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है, जिसमें:—

(क) प्रत्येक यात्री सीटः—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8×48.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 05 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः—

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सींटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँ:–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिन:–

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) वीडियो प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधाएँ होनी चाहिए।

9. पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

2. ठेका गाड़ियों के लिए किराये की दरें

(एक) ऑटोरिक्शा:–

(1)	किराए की दरें		प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए ₹ 23.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 हेतु ₹ 10.00
(2)	रात्रि किराया		उपरोक्त दर का 25 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक)

(दो) टैम्पो:–

(1)	किराए की दरें		₹ 09.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग हेतु

(तीन) टैक्सी कैब:–

(1)	किराए की दरें, साधारण सेवा		₹ 13.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए
	वातानुकूलित सेवा		उपरोक्त दर का 50 प्रतिशत अधिक
(2)	प्रतीक्षा भाड़ा		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 179.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 10.00

(चार) मैक्सी कैब:–

(1)	किराए की दरें, मैदानी मार्ग हेतु		₹ 20.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए
	पर्वतीय मार्ग हेतु		₹ 21.00 प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए
(2)	प्रतीक्षा भाड़ा		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 274.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 20.00

(पाँच) ठेका बस:–

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार		मैदानी मार्गों हेतु (प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए)		पर्वतीय मार्गों हेतु (प्रत्येक कि0मी0 या उसके भाग के लिए)
1	2		3		4
(1)	चालक को छोड़कर 13 से अधिक किन्तु 20 से कम सीट वाली वाहनों के लिए		₹ 22.00		₹ 28.00

(5)

1	2		3		4
(2)	चालक को छोड़कर 20 से अधिक किन्तु 42 से कम सीट वाली वाहनों के लिए		₹ 33.00		₹ 39.00
(3)	चालक को छोड़कर 42 या उससे अधिक सीट वाली वाहनों के लिए		₹ 39.00		₹ 39.00
(4)	डीलक्स सेवा		₹ 47.00		₹ 48.00
(5)	वातानुकूलित सेवा		₹ 55.00		₹ 57.00
(6)	प्रतीक्षा भाड़ा		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 538.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 36.00		प्रथम 08 घण्टे तक ₹ 538.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए ₹ 36.00

स्पष्टीकरण :-

1. ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 03 से अनधिक सीटें हों।
2. टैम्पों का तात्पर्य, तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 03 से अधिक परन्तु 06 से अनधिक सीटें हों।
3. टैक्सी कैब का तात्पर्य, चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 06 से अनधिक सीटें हों।
4. मैक्सी कैब का तात्पर्य, चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 06 से अधिक परन्तु 12 से अनधिक सीटें हों।
5. ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।
6. संगणित यात्री किराए की राशि ₹ 1.00 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को ₹ 1.00 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ :-

₹ 1.01 से ₹ 1.50= ₹ 1.00

₹ 1.51 से ₹ 1.99= ₹ 2.00

7. यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि0मी0) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि0मी0 से अधिक का भाग एक कि0मी0 (1.00 कि0मी0) तक पूर्णांकित किया जाएगा।
8. औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 08 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा।
9. किराए के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।
10. वातानकूलित सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है, जिसमें:-

(क) प्रत्येक यात्री सीटः-

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8×48.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए।

(2) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए।

(3) 05 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40/17.78×26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(ख) बैठने की व्यवस्थाः–

सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर दो अथवा तीन सीटें और दूसरी ओर दो सींटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(ग) खिड़कियाँः–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगें हुए हों।

(घ) चालक केबिनः–

चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(ङ) वीडियो प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश एवं वातानुकूलन की सुविधाएँ होनी चाहिए।

11. पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्षमणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

3. माल वाहनों के लिए किराये की दरें

(एक) अधिकतम भाड़े की दरः–

(1) मैदानी मार्ग हेतु	29.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0
(2) पर्वतीय मार्ग हेतु	44.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0

(दो) रोक लेने का प्रभार (डिटेन्शन चार्ज) :

प्रतिदिन 08 घण्टे के लिए	हल्के मोटरयान के लिए ₹ 166.00
	अन्य मोटरयान के लिए ₹ 248.00

स्पष्टीकरण :–

1. संगणित यात्री किराए की राशि ₹ 1.00 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को ₹ 1.00 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ :–

₹ 1.01 से ₹ 1.50= ₹ 1.00

₹ 1.51 से ₹ 1.99= ₹ 2.00

(7)

2. यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि0मी0) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि0मी0 से अधिक का भाग एक कि0मी0 (1.00 कि0मी0) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3. किराए के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।

4. यदि रोक लेने का समय मिलाकर हल्के मोटरयान की प्रतिदिन का औसत आय ₹ 345.00 एवं अन्य मोटरयान की प्रतिदिन की औसत आय ₹ 690.00 हो तो रोक लेने का प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

5. पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

सुनीता सिंह,
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/433–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।